भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：711

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

**केन्‍द्रीय सिविल सेवा नियमों में छूट**

**711. प्रो. अनिल कुमार साहनी :**

 क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्‍द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्‍द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों में छूट दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थितियों और परिस्थितियों में केन्‍द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा केन्‍द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों में छूट दी जा सकती है तथा इसमें छूट देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) और (ख) : जी हां, जहां तक सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 का संबंध है, केन्‍द्रीय सरकार किसी मामले को न्‍यायोचित एवं साम्‍ययुक्‍त ढंग से निपटाने के लिए किसी नियम को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्‍यधीन शिथिल कर सकती है जिसे वह अनिवार्य समझे । तथापि, केन्‍द्रीय सरकार का कोई भी आदेश, जो किसी विशिष्‍ट मामले में किसी नियम की आवश्‍यकताओं को शि‍थिल करने के लिए जारी किया जाए तो उसे संविधान के अनुच्‍छेद 77 की अपेक्षाओं के अनुसार राष्‍ट्रपति के आदेश के रूप में अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए । जहां तक सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 का संबंध है, समय सीमा को शिथिल करने अथवा सही और पर्याप्‍त कारणों के लिए आदेश जारी करने में हुए विलम्‍ब को माफ करने की शक्ति अथवा यदि पर्याप्‍त कारण दिया जाता है तो इन नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी अपेक्षित कार्य के लिए इन नियमों में समय-सीमा बढ़ाने अथवा किसी विलम्‍ब को माफ करने की शक्ति, इन नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास है ।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***